

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/शा०/96/2016-1/31/2016

लखनऊ: दिनांक ७६ अक्टूबर, 2016

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 अनुदान संख्या-14 आयोजनागत मद में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत राज्य स्तर से कमशः केन्द्रांश रु० 2810.82 व राज्यांश रु० 1873.70 लाख इस प्रकार कुल रु० 4684.70 लाख की धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप सचिव, पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-61/2016/2600/33-3-2016-100(16)/2015 दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 (प्रति संलग्न) के अन्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अनुदान संख्या-14 में आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि रु०-64045.75 लाख के सापेक्ष कमशः केन्द्रांश रु० 2810.82 लाख व राज्यांश रु० 1873.70 लाख इस प्रकार कुल रु०-4684.70 लाख (रूपये छियालीस करोड़ चौरासी लाख सत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है। शासनादेश सं०-16/2016/1047/33-3-2016-100(16)/2015, दिनांक 22-04-2016 के द्वारा रु०-5905.176 लाख तथा शासनादेश सं०-22/2016/1427/33-3-2016-100(16)/2015, दिनांक 02 जून, 2016 के द्वारा रु०-20466.72 लाख तथा शासनादेश संख्या-36/2016/2154/33-3-2016-100(16)/2015 दिनांक 09 अगस्त, 2016 तथा शासनादेश संख्या-2460/2016/2460/33-3-2016-100(16)/2015 दिनांक 20 सितम्बर, 2016 के द्वारा रु०-6410.08 लाख की धनराशि पूर्व में जारी की जा चुकी है। अतः प्राविधानित धनराशि से अवशेष धनराशि में से रु०-4684.70 लाख (रूपये छियालीस करोड़ चौरासी लाख सत्तर हजार मात्र) उपरोक्तानुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिवन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैं—

1—आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) के अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/2016/वी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2—उक्तानुसार आवंटित धनराशि/जनपदवार आवंटित केन्द्रांश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि को निर्धारित शर्तों एवं प्रतिवन्धों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह आवंटित की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

3—उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में ००प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संपर्हों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4—इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त आवंटित की जा रही धनराशि के विस्तृत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण ठिकरण/सूचनाये परीक्षण/सत्यापन हेतु लेखा एवं बजट अनुभाग को उपलब्ध करायी जाय।

5—भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुसार उक्त आवंटित धनराशि को यूनियन बैंक आफ इण्डिया, शाखा गोमती नगर, लखनऊ में ००प्र० स्टेट सेनीटेशन मिशन

(SSM) के नाम से खोले गये खाता संख्या—521302010060034, आई0एफ0एस0सी0 कोड यू बी आई एन 0552135 में जमा किया जायेगा।

6—भारत सरकार द्वारा निर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन के बिन्दु—13 के अनुसार भारत सरकार से केन्द्रीय की धनराशि स्टेट स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के खाते में 15 दिन के अन्दर स्थानान्तरित करते हुए सम्बन्धित खाते से 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित जनपदों को अवमुक्त किया जायेगा इसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा मैचिंग राज्यांश मद की धनराशि स्टेट स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के खाते में अवमुक्त करने के उपरान्त सम्बन्धित खाते से जनपदों को अवमुक्त की जायेगी।

7—उक्त मदों पर होने वाला व्यय बालू वित्तीय वर्ष 2016—17 में अनुदान संख्या— 14 के लेखाशीर्षक "2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—101—पंचायती राज—01—केन्द्र प्रायोजित योजनाएं—0103—स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालयों का निर्माण (जिला योजना) (के060 / रा040—के0+रा0)—20—सहायता अनुदान—सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायगा।

8—शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या—सीए—934 / दस—2008—ग्री—1 / 2007 दिनांक 02—09—2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

9—आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0—4 पर बजट एवं लेखा अनुभाग को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आवंटित धनराशि बजट मेनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

10—उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के कियान्वयन हेतु समय—समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गाइड लाइन के व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।


11—उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगे।

12— धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण—पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या—136 पर अंकित है।

संलग्न:—उक्तानुसार।


मवदीय,


(अनिल कुमार दमेले)

निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या:1 / शा0 / 96 / 1 / 2016 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2— वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15—1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद—211001.
- 3— प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4— उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—2, उ0प्र0 शासन।
- 5— मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6— उप निदेशक(प०) / योजना प्रभारी, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
- 7— प्लानिंग एम0य० सेल, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना।


(केशव सिंह)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-06/10/2016

प्रेषण संख्या:- 1-sha-96-2016-1-31-2016
आवंटन आदेश संख्या:- 005-31-2016
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)
लेखाधीषक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनागत-मतदेय)

101 - पंचायती राज
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
03 - स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालयों
(धनराशि रु. में)

S.No.	आधिकारी/जनपद का नाम	वर्तमान अनुदान सामान्य (मीर वेतन)	योग
1	जबाहर भवन, लखनऊ-2287-निदेशक, पंचायती राज, 30प्र०, लखनऊ-01-पंचायत राज निदेशालय	वर्तमान प्रगामी	468470000 4663764600
	योग	वर्तमान प्रगामी	468470000 4663764600

महायोग- (वर्तमान
आवंटन)- रूपया छियालीस करोड़ चौरासी लाख सत्तर हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार अरब छियासठ करोड़ सेंतीस लाख चौसठ हजार छः सौ


(केशव सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधीकारी